सिविल विविध

न्यायमूर्ति आर. एस. नरूला और बाल राज तुली के समक्ष

अमर नाथ और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

संपत्ति अधिकारी और अन्य - उत्तरदाता

1969 की सिविल रिट संख्या 1304

26 सितंबर, 1969

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम (धारा 2 (एफ) और 4 (1) के XXXII - पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम (1959 का XXXI) - धारा 2 (डी) और 5- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का XXXI) - धारा 2 (एफ), 4, 48, 87, 88 और 95 - केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में "सार्वजनिक परिसर" - पंजाब के पुनर्गठन के बाद लागू अधिनियम - चाहे केंद्रीय या पंजाब अधिनियम का विस्तार ऐसा क्षेत्र - चाहे आवश्यक हो।

यह अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1959, पूरे देश में कहीं भी स्थित केंद्र सरकार से संबंधित 1 "सार्वजनिक परिसरों" पर लागू होता है, जबकि पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1959, पंजाब राज्य से संबंधित सार्वजनिक परिसरों पर लागू होता है। पंजाब अधिनियम अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर पंजाब राज्य की किसी भी संपत्ति पर लागू नहीं होता है। केन्द्रीय अधिनियम केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर तब भी लागू था जब यह केन्द्र सरकार से संबंधित परिसर के संबंध में पंजाब राज्य का हिस्सा बन गया था। अधिनियम इस पर कार्य करता है। संपत्तियों को उनके स्वामित्व के अनुसार केंद्र सरकार का होना चाहिए, न कि इसलिए कि वे किसी विशेष स्थान पर स्थित हैं। राज्य अधिनियम केवल राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर लागू होता है, न कि बाहर क्योंकि किसी भी राज्य विधायिका के पास अतिरिक्त-क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सरकारी संपत्तियों का स्वामित्व पंजाब राज्य से केंद्र सरकार में बदल गया, इसलिए उन संपत्तियों पर लागू कानून स्वचालित रूप से पंजाब अधिनियम के स्थान पर केंद्रीय अधिनियम बन गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 88 ने पुनर्गठन के बाद चंडीगढ़ में स्थित केंद्र सरकार से संबंधित परिसर में उस अधिनियम की प्रयोज्यता में कोई अंतर नहीं किया है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सभी सार्वजनिक परिसरों पर लागू अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है। (पैरा 4)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 87 के अनुसार, अधिसूचना की तारीख पर किसी राज्य में लागू किसी भी अधिनियमन को चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में किसी भी राज्य कानून का विस्तार न कि किसी भी केंद्रीय अधिनियम का विस्तार जो पहले से ही इस क्षेत्र पर लागू है क्योंकि यह पूरे भारत में लागू है और जो लागू होता है। पुनर्गठन से पहले जब यह पंजाब राज्य का हिस्सा था। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संविदा अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम आदि जैसे केन्द्रीय अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी किए बिना संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू होते रहे हैं। इसलिए पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करना आवश्यक नहीं था। (पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा पारित क्रमशः 14 अप्रैल, 1969 और 28 मई, 1969 के आदेश को रद्द करते हुए प्रमाण पत्र या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की रिट जारी की जाए।

एन. एल. ढींगरा, याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील

सी. डी. दीवान और जे. एल. गुप्ता, उत्तरदाताओं के लिए वकील

निर्णय

याचिकाकर्ताओं ने 25 जुलाई, 1963 को आयोजित नीलामी में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान का पट्टा प्राप्त किया, जो 1 अगस्त, 1963 से शुरू हुआ और 31 जुलाई, 1964 को समाप्त हुआ। उनकी बोली 2050 रुपये प्रति मासिक थी, जो सबसे अधिक थी। अगले वर्ष के लिए, पट्टे की नीलामी जून, 1965 में की गई और फिर से याचिकाकर्ताओं ने 1925.00 रुपये प्रति माह की उच्चतम बोली दी। याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक ने याचिकाकर्ताओं को 1925-00 रुपये प्रति माह की दर से पांच साल के लिए पट्टा देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लिखित बयान में इस आरोप का खंडन किया गया है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नीलामी की पुष्टि नहीं की गई और बस स्टैंड पर चाय की दुकान को 1 जुलाई, 1965 को एक अगस्त, 1965 से एक साल के लिए नीलाम करने का आदेश दिया गया। इस आदेश पर परिवहन मंत्री ने 30 जून 1965 को रोक लगा दी थी। हालांकि, चाय की दुकान का पट्टा 29 जुलाई, 1965 को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नीलाम कर दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने परिसर खाली नहीं किया, इसलिए एस्टेट अधिकारी, चंडीगढ़ ने 4 नवंबर, 1965 को पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1959 की धारा 5 के तहत उनके खिलाफ एक आदेश पारित किया, जिसे बाद में याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने के लिए

पंजाब अधिनियम कहा जाता है। याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे 26 अप्रैल, 1966 को आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने संपदा अधिकारी और आयुक्त के आदेश के खिलाफ 1966 के सीडब्ल्यू 932 दायर किया, जिसे इस न्यायालय ने 10 मई, 1966 को खारिज कर दिया था। उस फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने 15 जनवरी, 1968 को अपील स्वीकार कर ली और एस्टेट ऑफिसर, चंडीगढ़ और आयुक्त, अंबाला डिवीजन के आदेशों को रद्द कर दिया गया।

(2) संपदा अधिकारी ने 17 अक्टूबर, 1968 को याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत एक नया नोटिस जारी किया, जिसे बाद में केंद्रीय अधिनियम कहा जाता है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 6 नवंबर, 1968 को या उससे पहले कारण बताने के लिए कहा गया है, क्यों न उनके खिलाफ निष्कासन का आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां दर्ज कीं और संपदा अधिकारी ने 14 अप्रैल, 1969 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया, जिसे 22 अप्रैल, 1969 को घोषित किया गया था। उस आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने 28 अप्रैल, 1969 को जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत में अपील दायर की, लेकिन इसे 28 मई, 1969 को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने 29 मई, 1969 को इस न्यायालय में वर्तमान याचिका दायर की, जिसे उसी बिंदु पर स्वीकार की गई अन्य याचिकाओं के साथ छुट्टी के तुरंत बाद सुनवाई करने का आदेश दिया गया था। इस बीच यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया।

(3) रिट याचिका की वापसी प्रतिवादी 1 और 3 की ओर से सहायक संपदा अधिकारी श्री गुर-दीप सिंह द्वारा दायर की गई है।

(4) हमारे सामने केवल यह तर्क दिया गया है कि केंद्रीय अधिनियम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 88 के आधार पर विवाद में संपत्ति पर लागू नहीं होता है और लागू अधिनियम पंजाब अधिनियम था। विद्वान वकील ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया है: —

2(फ) "मौजूदा पंजाब राज्य" से पंजाब राज्य अभिप्रेत है जो नियत दिन से ठीक पहले विद्यमान है।

a. चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का गठन।

नियत दिन से और उसके बाद एक नया संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, जिसमें मौजूदा पंजाब राज्य में अंबाला जिले की खरड़ तहसील के मनीमाजरा और महौली कानूनगो

सर्कल जैसे राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और उसके बाद इस प्रकार विनिर्दिष्ट क्षेत्र मौजूदा पंजाब राज्य का हिस्सा नहीं बनेंगे।

48. भूमि और माल

1. इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, मौजूदा पंजाब राज्य से संबंधित सभी भूमि और सभी भंडार, वस्तुएं और अन्य सामान, निम्नलिखित

(a) यदि उस राज्य के भीतर, उस उत्तराधिकारी राज्य को पारित करें जिसके क्षेत्रों में वे स्थित हैं; नहीं तो

87. चंडीगढ़ को अधिनियमन का विस्तार करने की शक्तियां।

केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ, जो वह उचित समझे, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे किसी भी अधिनियमन का विस्तार कर सकती है जो अधिसूचना की तारीख पर किसी राज्य में लागू है।

88. कानूनों की क्षेत्रीय सीमा।

भाग-II के उपबंधों को उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करने वाला नहीं समझा जाएगा जिन पर नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई विधि विस्तारित या लागू होती है और पंजाब राज्य के लिए ऐसे किसी भी कानून में प्रादेशिक संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए, का अर्थ उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों से नियत दिन से ठीक पहले लगाया जाएगा।

95. अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव अन्य कानूनों के साथ असंगत है

इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दी गई दलील यह है कि धारा 88 के अनुसार भाग 2 (जिसमें धारा 4 होती है) के प्रावधानों को उन क्षेत्रों में किसी भी बदलाव को प्रभावित नहीं करने वाला माना जाता है, जिन पर पंजाब अधिनियम 1 नवंबर, 1966 से पहले लागू होता था और इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा पट्टेदारों के रूप में कब्जा किए जा रहे चाय की दुकान को पंजाब राज्य की संपत्ति के रूप में जारी रखा जाना था। 1 नवंबर, 1966 के बाद केंद्रीय अधिनियम नहीं बल्कि पंजाब अधिनियम द्वारा शासित होता है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 4 के तहत किया गया था और यदि पुनर्गठन से पहले पंजाब राज्य में लागू अधिनियमों की क्षेत्रीय सीमाओं को जारी रखने के उद्देश्य से उस

प्रावधान की अनदेखी की जानी है, तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित भूमि, भंडार, लेख और अन्य सामान को राज्य से पारित नहीं माना जा सकता है। पंजाब से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और इस कारण से बस स्टैंड जहां चाय की दुकान स्थित है, पंजाब अधिनियम द्वारा शासित पंजाब राज्य की संपत्ति बनी रही। इस तर्क को आगे बढ़ाने में विद्वान वकील की सरलता के बावजूद, हम इसकी दृढ़ता से प्रभावित नहीं हैं। केंद्रीय अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और जहां कहीं भी स्थित है, "सार्वजनिक परिसरों" पर लागू होता है। "सार्वजनिक परिसर" को केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से संबंधित या पट्टे पर लिए गए या मांगे गए किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह विवादित नहीं है कि बस स्टैंड और चाय की दुकान केंद्रीय अधिनियम की धारा 2 (बी) के अर्थ के भीतर "सार्वजनिक परिसर" हैं, लेकिन यह प्रस्तुत किया गया है कि जो अधिनियम लागू होता है वह केंद्रीय अधिनियम नहीं बल्कि पंजाब अधिनियम होगा। पंजाब अधिनियम पूरे पंजाब राज्य पर लागू होता है और इसमें "सार्वजनिक परिसर" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (डी) में परिभाषित राज्य सरकार से संबंधित या पट्टे पर लिया गया या उसकी ओर से लिया गया कोई परिसर है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केंद्रीय अधिनियम पूरे देश में जहां कहीं भी स्थित है, केंद्र सरकार से संबंधित सार्वजनिक परिसरों पर लागू होता है, जबकि पंजाब अधिनियम पंजाब राज्य से संबंधित सार्वजनिक परिसरों पर ही लागू होता है। पंजाब अधिनियम अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर पंजाब राज्य की किसी भी संपत्ति पर लागू नहीं होता है। हमने विद्वान वकील के समक्ष यह बात रखी कि यदि 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पहले केंद्र सरकार द्वारा बस स्टैंड का अधिग्रहण किया गया होता तो क्या लागू होने वाला अधिनियम केंद्रीय अधिनियम होता या पंजाब अधिनियम होता और उनका जवाब था कि लागू होने वाला अधिनियम केंद्रीय अधिनियम होता। इसलिए हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान के तहत सेक्टर 17 में बस स्टैंड को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की अन्य भूमि के साथ केंद्र सरकार में कैसे शामिल किया गया है, जिससे उस भूमि और उस पर बने परिसर पर केंद्रीय अधिनियम की प्रयोज्यता पर कोई फर्क पड़ता है। यदि ये संपत्तियां पंजाब राज्य की बनी रहती तो लागू होने वाला अधिनियम पंजाब अधिनियम होता, भले ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ उसके बाद पंजाब राज्य का हिस्सा न बन गया हो। केन्द्रीय अधिनियम केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर तब भी लागू था जब यह केन्द्र सरकार से संबंधित परिसर के संबंध में पंजाब राज्य का हिस्सा बन गया था। इसलिए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 ने चंडीगढ़ में स्थित केंद्र सरकार से संबंधित परिसर ों में उस अधिनियम की प्रयोज्यता में कोई अंतर नहीं किया है।

(5) यह तर्क कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 के तहत आवश्यक पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसके गठन के बाद केंद्रीय अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू नहीं किया गया है, बिना किसी योग्यता के है। धारा 87 के अनुसार, अधिसूचना की तारीख पर किसी राज्य में लागू किसी भी अधिनियमन को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है, जिसका अर्थ है कि किसी भी राज्य कानून का इस क्षेत्र में विस्तार न कि किसी भी

केंद्रीय अधिनियम का विस्तार जो पहले से ही इस क्षेत्र पर लागू है क्योंकि यह पूरे भारत में लागू है और जो इस पर लागू होता है। क्षेत्र जब यह पुनर्गठन से पहले पंजाब राज्य का हिस्सा था। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संविदा अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम आदि जैसे केन्द्रीय अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी किए बिना संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू होते रहे हैं। इसलिए, धारा 87 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।

(6) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 95 भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि केंद्रीय अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की संपत्तियों पर लागू नहीं हो सकता है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हो। इस धारा का केंद्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों की प्रयोज्यता से कोई लेना-देना नहीं है, जो पुनर्गठन से पहले पंजाब राज्य में लागू थे, इसके गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। इसलिए, हमारी राय है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों में से कोई भी याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को उनके तर्क में मदद नहीं करता है कि पंजाब अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू होता है, इस तथ्य के बावजूद कि संपत्ति का स्वामित्व पंजाब राज्य से केंद्र सरकार में बदल गया है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रभाकर राव एन. मावले, बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[1], (1) में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के फैसले से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों मामलों के तथ्यों के बीच कोई समानता नहीं है और इसलिए, उस फैसले से कोई समर्थन नहीं किया जा सकता है। उस मामले में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के हैदराबाद शहर में एक वादी पर मुकदमा (रोकथाम) अधिनियम, 1949 (1949 का मद्रास अधिनियम 8) के प्रावधानों को लागू किया था। मद्रास अधिनियम पूरे मद्रास राज्य में लागू किया गया था और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि इसे मद्रास के पूर्व उच्च न्यायालय के सभी अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं और इस प्रकार मद्रास अधिनियम के प्रावधानों ने इसमें एक अधिकार क्षेत्र बनाया है जो तेलंगाना क्षेत्र में प्रयोग करने में सक्षम है, भले ही अधिनियम को राज्य के क्षेत्र के इस हिस्से तक विस्तारित नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण की इस आधार पर पुष्टि नहीं की कि मद्रास अधिनियम केवल मद्रास राज्य तक ही लागू है और जब तक इसे आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र तक विस्तारित नहीं किया जाता है, तब तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय उस क्षेत्र में उस अधिनियम के तहत किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग

[1] 1965 (3) एस.सी.आर. 743

नहीं कर सकता है। अधिनियमों को कानून द्वारा एक क्षेत्र में विस्तारित किया जाना है, न कि न्यायपालिका द्वारा इस आधार पर कि अधिनियम के तहत शक्ति का उपयोग उस क्षेत्र में किया गया था जिस पर अधिनियम लागू होता है। यहां तक कि एक राज्य में भी, न्यायपालिका किसी अधिनियम को केवल उसी राज्यक्षेत्र पर लागू कर सकती है जिस पर वह लागू होती है यदि उस अधिनियम की सीमा केवल उस राज्य के एक भाग तक ही सीमित है। वर्तमान मामले में, केंद्रीय अधिनियम चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश पर तब भी लागू होता है जब यह क्षेत्र पंजाब राज्य का हिस्सा था और यदि विवाद में चाय की दुकान पुनर्गठन से पहले किसी भी समय केंद्र सरकार की थी, तो यह केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती। इसलिए, विद्वान वकील को सुप्रीम कोर्ट के अपने लॉर्डशिप के इस फैसले से कोई मदद नहीं मिलती है।

(8) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तब इस न्यायालय की एक खंडपीठ (टेक चंद और पीडी शर्मा, जेजे) के एक फैसले पर भरोसा किया है। भगवान कौर वी। पंजाब राज्य[2] (2) जिसमें यह आयोजित किया गया था:

> "राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 में अंतर्निहित नीति संबंधित क्षेत्रों में लोगों के कानूनी अधिकारों और दायित्वों को अचानक परेशान नहीं करती है, जिन्हें एक राज्य में विलय किया जा रहा था।"

राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के समान है। कानून के उस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुनर्गठन से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू कानून को पुनर्गठन के बाद बदल दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा उत्तर नकारात्मक है क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम पहले से ही संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू है और यह अधिनियम केन्द्र सरकार से संबंधित सभी परिसरों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम संपत्तियों पर उनके स्वामित्व के अनुसार कार्य करता है न कि इसलिए कि वे किसी विशेष स्थान पर स्थित हैं। राज्य अधिनियम केवल राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर लागू होता है, न कि बाहर क्योंकि किसी भी राज्य विधायिका के पास अतिरिक्त क्षेत्राधिकार नहीं है। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सरकारी संपत्तियों का स्वामित्व पंजाब राज्य से केंद्र सरकार में बदल गया, इसलिए उन संपत्तियों पर लागू कानून स्वचालित रूप से पंजाब अधिनियम के स्थान पर केंद्रीय अधिनियम बन गया। पंजाब अधिनियम में, "सार्वजनिक परिसर" की परिभाषा में हम केंद्र सरकार से संबंधित संपत्तियों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक परिसरों को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश

[2] आई.एल.आर. (1903)1 पंजाब। 802-ए.आई.आर. 1963 पंजाब: 522

चंडीगढ़ में स्थित हैं। केंद्रीय अधिनियम में ''सार्वजनिक परिसर'' की परिभाषा खंड में, हमें न तो कुछ भी जोड़ना है और न ही ''सार्वजनिक परिसर'' की परिभाषा से कुछ भी हटाना है। उस अधिनियम के प्रचालन को केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि इसके गठन से पहले ये संपत्तियां पंजाब राज्य की थीं, न कि केन्द्र सरकार की। केंद्रीय अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा किसी भी कानूनी कार्यवाही द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों पर लागू होगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का जोर यह है कि पंजाब राज्य की भूमि और अन्य संपत्तियां केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की हैं क्योंकि यह क्षेत्र धारा 4 के तहत बनाया गया था, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के भाग 2 में है, और धारा 88 के प्रयोजनों के लिए भाग 2 के प्रावधानों की अनदेखी की जानी है। हालांकि, विद्वान वकील का दृष्टिकोण सही नहीं है। इस अधिनियम की धारा 48 बिना किसी प्रतिबंध के है और इसलिए, पंजाब राज्य से संबंधित चंडीगढ़ में संपत्तियां बिना शर्त केंद्र सरकार में निहित हो गईं और इसकी संपत्ति बन गईं। केवल स्वामित्व में परिवर्तन - उन संपत्तियों के लिए पंजाब अधिनियम की प्रयोज्यता को प्रभावित किया। केन्द्रीय सरकार की सभी सम्पत्तियों पर केन्द्रीय अधिनियम लागू होता है और यह अधिनियम किसी सम्पत्ति पर लागू किया जाएगा- जैसे ही यह केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है और केन्द्रीय अधिनियम की सीमा के कारण इसे इसका संबंधित कहा जा सकता है।

(9) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, हम विद्वान वकील की इस दलील में कोई दम नहीं पाते हैं और मानते हैं कि केंद्रीय अधिनियम के तहत संपत्ति अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही वैध थी।

(10) इस याचिका में किसी अन्य बिंदु पर तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए, इसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। वकील की फीस 100 रुपये।

(11) याचिकाकर्ताओं ने 1969 की 'सिविल-विविध संख्या 2198' दायर की थी, जिसमें उन्हें इस आधार पर चाय की दुकान की बहाली के लिए कहा गया था कि इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किए जाने के बाद उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया था। चूंकि रिट याचिका खारिज कर दी गई है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को चाय की दुकान का कब्जा बहाल करने का कोई सवाल ही नहीं है। लागत के रूप में बिना किसी आदेश के आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

आर. एस. नरूला, जे.- मैं सहमत हूं।

एन. के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी